बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः–12/वि0–150/2026 -822 पटना, दिनांकः– 26.5.26

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषयः **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में अल्प वर्षापात् के कारण राज्य के कुछ जिलों में भू–जल स्तर में गिरावट के कारण साधारण चापाकल/पुराने जीर्ण–शीर्ण बंद चापाकलों के अकार्यरत होने की स्थिति में पेयजल समस्या से निजात हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़) के तहत नये चापाकलों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के तहत कुल 914 अदद नये चापाकलों (इण्डिया मार्क–II हैण्ड पंप के साथ) का निर्माण (प्लेटफॉर्म एंव नाली तथा सोख्ता सहित) हेतु रू0 899.964 लाख (आठ करोड़ निन्यानवे लाख छियान्वें हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति।**

आदेशः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में अल्प वर्षापात् के कारण राज्य के कुछ जिलों में भू–जल स्तर में गिरावट के कारण साधारण चापाकल/पुराने जीर्ण शीर्ण बंद चापाकलों के अकार्यरत होने की स्थिति में पेयजल समस्या से निजात हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़) के तहत नये चापाकलों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के तहत कुल 914 अदद नये चापाकलों (नये उन्नत क्षमता के इण्डिया मार्क–II) चापाकल का निर्माण प्लेटफॉर्म एवं नाली तथा सोख्ता सहित) हेतु रू0 899.964 लाख (आठ करोड़ निन्यानवे लाख छियान्वें हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय पत्रांक–608, दि0–23.04.2026 के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पत्र सं0–03/बजट–01–24/2026–24–आ0प्रा0, दिनांक–11.05.2026 के माध्यम से रू0 900.00 लाख (नौ करोड़ रूपये) मात्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराया गया है (संलग्न–परिशिष्ट–I)।

इस योजना का बजट शीर्ष स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–01–सूखा, लघु शीर्ष–282–लोक स्वास्थ्य, उप शीर्ष–0002–जलापूर्ति हेतु कुँओं आदि की मरम्मति, मांग संख्या–39, विपत्र कोड–39–2245012820002 में विषय शीर्ष–27 02–अनुरक्षण एवं मरम्मति के अन्तर्गत भारितव्य होगा।

3. इस योजना की तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी है।

4. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलावार चापाकलों का प्रकार, लक्ष्य एवं राशि परिशिष्ट–II पर संलग्न है।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

6. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

7. इस योजना को दो माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

8. स्वीकृत योजना अन्तर्गत चापाकलों का निर्माण वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर एस0सी0/एस0टी0 तथा पेयजल समस्याग्रस्त टोलों/बसावटों में किया जाएगा एवं निर्मित चापाकल का Geo Tag तथा समाजिक प्रमाण–पत्र का विभागीय MIS पर अपलोडिंग के पश्चात् ही कार्यपालक अभियंता द्वारा भुगतान किया जाएगा।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे। भूगर्भीय जल स्तर एवं भूगर्भीय संरचना के आलोक में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नलकूपों के प्रकार में परिवर्तन, स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जा सकता है।

10. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के कार्यान्वयन के क्रम अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे।

11. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

12. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

14. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

15. सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जायेगी।

16. वर्ष 2026–27 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पत्र संख्या–03/बजट–01–24/2026/24–आ0प्रा0, दिनांक–11.05.2026 द्वारा रू0 900.00 लाख (नौ करोड़ रूपये) मात्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध करायी गयी राशि से योजना पर व्यय किया जायेगा।

17. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. इस पर प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक--यथोपरि।

अभय 26/05/26

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक–12/वि0–150/2026–822 पटना, दिनांक– 26.5.26

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–सह--विशेष सचिव (मु0/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता (द0बि0)/मुख्य अभियंता (रूपांकण)/मुख्य अभियंता (अनु0)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/कार्यवाहक सहायक–12/आई0टी0, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बिहार एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

4. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

5. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

अभय 26/05/26

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

sanlekh 2026-27

परिशिष्ट - I

संख्या–03 / बजट–01–24 / 2026 / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

पत्र–12
15/05/26

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना–23, दिनांक–

विषयः–वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–01–282–0002–जलापूर्त्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मति के अन्तर्गत कुल रु० 900.00 लाख (नौ करोड़ रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–01–सूखा, लघुशीर्ष–282–लोक स्वास्थ्य, उपशीर्ष–0002–जलापूर्त्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मति, मांग संख्या–39, विपत्र कोड–39–2245012820002–जलापूर्त्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मति में विषय शीर्ष–27 02–अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. पूर्व / वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है : –

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विभाग	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2026–27)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2026–27)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2026–27)
1.	2.	3	4	5
1	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार	00.00 (शून्य)	900.00 (नौ करोड़ रुपये)	900.00 (नौ करोड़ रुपये)

4. उक्त राशि अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–608 दिनांक–23.04.2026 के माध्यम से की गई अधियाचना के आलोक में आवंटित की जा रही है। आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2026–27 में पेयजल की समस्या से निपटने हेतु चापाकलों के निर्माण के निमित्त व्यय किया जाएगा।

5. आवंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से की जाएगा।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561वि0 (2) दिनांक–17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

वर्तमान वि

7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–03/बजट–01–24/2026/ 24 /आ0प्र0, पटना–23 दिनांक–11-05-26

प्रतिलिपि–

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–608 दिनांक–23.04.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/5
संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-II (13)

परिशिष्ट -- 1

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026--27 में गर्मी, लू तथा आपदा की स्थिति तथा जिलों में जल स्तर के गिरावट के कारण पेयजल हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़) के तहत नये चापाकलों का निर्माण कार्य

Sl No.	Name of District	Name of P.H. Division	Construction of 125mmX40mmX61M deep tube well with IM-II Hand pump @ 0.84800 Lakh		Construction of 125mmX45M deep Gravel Packed Tube well (G.P.T.) with IM-II Hand pump @ 0.88100 Lakh		Construction of 125mm/ 115mm X 70M deep Drilled Tube well (D.T.) with IM-II hand pump @ 1.019 Lakh		Total No. of Hand Pumps	Total Amount for construction of Hand Pumps	Construction of 1.0 m dia X 2.0 m Deep Soakpit @ 0.085 Lakh		Total Amount
			Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)	Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)	Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)	Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)	Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)	Financial (Rs. In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Patna	Patna East	20	16.96		0		0	20	16.96	20	1.7	18.66
2		Patna West	20	16.96		0		0	20	16.96	20	1.7	18.66
3	Nalanda	Biharsharif	20	16.96	10	8.81		0	30	25.77	30	2.55	28.32
4		Hilsa	20	16.96	10	8.81		0	30	25.77	30	2.55	28.32
5	Bhojpur	Ara	20	16.96	10	8.81		0	30	25.77	30	2.55	28.32
6	Buxar	Buxar	20	16.96		0		0	20	16.96	20	1.7	18.66
7	Arwal	Arwal	10	8.48	10	8.81	0	0	20	17.29	20	1.7	18.99
8	Rohtash	Sasaram		0	20	17.62	10	10.19	30	27.81	30	2.55	30.36
9	Kaimur	Bhabhua		0	20	17.62	10	10.19	30	27.81	30	2.55	30.36
10	Aurangabad	Aurangabad		0	20	17.62	10	10.19	30	27.81	30	2.55	30.36
11	Gayaji	Gayaji		0	20	17.62	20	20.38	40	38	40	3.4	41.4
12		Sherghati		0	20	17.62	20	20.38	40	38	40	3.4	41.4
13	Jahanabad	Jahanabad	10	8.48	10	8.81		0	20	17.29	20	1.7	18.99
14	Nawada	Nawada		0	20	17.62	10	10.19	30	27.81	30	2.55	30.36
15	Bhagalpur	Bhagalpur East	20	16.96	10	8.81	10	10.19	40	35.96	40	3.4	39.36
16		Bhagalpur West	20	16.96	10	8.81	10	10.19	40	35.96	40	3.4	39.36
17	Banka	Banka		0	20	17.62	10	10.19	30	27.81	30	2.55	30.36
18		Barahat		0	20	17.62	10	10.19	30	27.81	30	2.55	30.36
19	Munger	Munger	100	84.8	100	88.1	50	50.95	250	223.85	250	21.25	245.1
20	Jamui	Jamui		0	24	21.144	20	20.38	44	41.524	44	3.74	45.264
21	Shiekhpura	Shiekhpura	20	16.96	10	8.81	10	10.19	40	35.96	40	3.4	39.36
22	Lakhisarai	Lakhisarai	20	16.96	30	26.43		0	50	43.39	50	4.25	47.64
	Total		320	271.36	394	347.114	200	203.8	914	822.274	914	77.69	899.964

Technically Approved for Rs.899.964 (Rs. Eight Crores Ninty Nine Lakhs Ninty SixThousands Four Hundered only)

Technically Approved for Rs 899.964 (Eighty Crores Ninty Nine Lakhs Ninty Six Thousands Four Hundred only) for AA only.

20/5/26

20.5.26 EE D-6

20/05/26 CE, Design Circle - 02

28/05/26

Chief Engineer(Design),PHED